॥श्री॥

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 200/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
01. संतोष पुत्र पाबुराम जाति माली निवासी बेरा मोती सागर, नेहड़ा बेरा, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0		01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : 13/05/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू.नि.क्षे. सोजत तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 3178 रकबा 0.0378 हैक्टर की आई हुई स्थित है, वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 3178 पूर्व में प्रार्थी के पिता पाबुराम उर्फ बाबुलाल पुत्र पोकरराम के नाम की खातेदारी दर्ज सुदा थी व खसरा नंबर 3178 का कुल रकबा 0.1100 है0 था, उक्त कृषि भूमि ख0 नं0 3178 (0.1100) में से 0.0344 है0 कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बक्सीसनामा दिनांक 13.04.2011 प्रार्थी के पिता पाबूराम पुत्र पोकरराम ने अपने भाई फाउलाल पुत्र पोकरराम को व 0.0378 हैक्टर कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बक्सीसनामा दिनांक 13/04/2011 के अपने भाई किशनलाल पुत्र पोकरराम के पक्ष में तहरीर व तकमील कर निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया। उक्त दोनो बक्सीसनामा दिनांक 13/04/2011 का नामान्तरण 2614 भर कर दिनांक 31/05/2011 को स्वीकृत किया गया जिसमें 3178 से नये बने खसरा नम्बर 3178/1 किशनलाल पुत्र पोकरराम के नाम व खसरा नम्बर 3178/2 फाउलाल पुत्र पोकरराम के नाम दर्ज किया गया, लेकिन 3178, 3178/1, 3178/2 की तरमीम बाबत् उसी नामांतरण संख्या 2614 के पृष्ठ में अंकित किया गया, जिसके अनुसार मूल खसरा नम्बर 3178 की तरमीम 3178/1 व 3178/2 के बीच में की गई। 3178 के उपरी तरफ 3178/1 व नीचली तरफ 3178/2 की तरमीम की गई व इसी अनुसार आज दिनांक तक सभी खतेदारान काबिज काश्त है। मूल खसरा नम्बर 3178 को प्रार्थी के पिता पाबुराम पुत्र पोकरराम ने प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बक्सीसनामा दिनांक 09/07/2015 को बक्सीस कर दिया व तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम का नामान्तरण भरा गया व प्रार्थी का नाम बतौर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, तब से लगाकर आज दिनांक तक माफिक पूर्व तरमीम अनुसार प्रार्थी मौके पर

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

काबिज काश्त है। ऑनलाईन सेग्रीकेशन के समय मूल खसरा नम्बर 3178 की तरमीम 3178/1 व 3178/2 के बीच में करने की बजाय खसरा नम्बर 3183/1 के पास कर दी गई, जबकि वास्तविक व नामान्तरण संख्या 2614 के अनुरूप खसरा नम्बर 3178/1 की तरमीम 3183/1 के पास व उसके नीचे मूल खसरा 3178 की तरमीम व 3178 के नीचे 3177 के चिपते 3178/2 की तरमीम होनी चाहिये थी। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजस्व विधिक प्रा0पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3178 की तरमीम 3178/1 व 3178/2 के मध्य किये जाकर रेकर्ड दुरूस्त कर तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0 पत्र पेश नहीं करने अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया जाता हैं।

प्रकरण में वादस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार सरहद मौजा सोजक चक द्वितीय के ख.नं. 3178 रकबा 0.0378 है0 सन्तोष पुत्र पाबूराम कौम माली के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। ख0नं0 3178/1 रकबा 0.0378 है0 किशनलाल पुत्र पोकरराम कौम माली के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। ख0नं0 3178/2 रकबा 0.0344 है0 फाऊलाल पुत्र पोकरराम कौम माली के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। मौका अनुसार तीनों खातेदार अपने अपने खसरों पर काबिज है, लेकिन सेग्रीगेशन के समय ऑनलाईन नक्शे बनाते वक्त लिपिकीय त्रुटिवश ख0 नं0 3178 की जगह 3178/1 व ख0 नं0 3178/1 की जगह 3178 लिख दिया गया। जिसे संलग्न नजरी नक्शा में राजस्व रेकर्ड तथा मौका अनुसार दर्शाया गया हैं, की रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तह0 सोजत के खसरा नम्बर 3178 की तरमीम 3178/1 व 3178/2 के मध्य किये जाकर रेकर्ड दुरूस्त कर तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर वादस्थ भूमि के ऑनलाईन सेग्रीकेशन के समय राजस्व नक्शे में ख0नं0 3178 की तरमीम ख0नं0 3178/1

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

के स्थान पर तथा ख0नं0 3178/1 की तरमीम ख0नं0 3178 के स्थान पर गलत किये जाने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तह0 सोजत में स्थित खसरा नम्बर 3178, 3178/1 की तरमीम दुरूस्त करते हुए वर्तमान में ख0नं0 3178 के स्थान पर ख0नं0 3178/1 की तथा ख0नं0 3178/1 के स्थान पर ख0नं0 3178 की तरमीम दुरूस्त कर शुद्धि किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)